भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2034
01 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:- बीमा प्रीमियम का संग्रह
2034. श्री फिरोज वरूण गांधी:
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए किसानों के साथ केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की गई प्रीमियम राशि से निधियों का एक केन्द्रीकृत पूल बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दावा निपटान अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा दावों का बेहतर निपटान सुनिश्चित करने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): जी नहीं।
(ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान किसानों को भुगतान किए गए दावों का राज्य-वार विवरण **संलग्न** है।
(ग): प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और स्कीम को और अधिक किसान अनुकूल बनाने की दृष्टि से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि स्कीम के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। दावों के समय पर निपटान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है.

i. राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के बेहतर निगरानी के लिए स्वत: संचालन, सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन, व्यक्तिगत बीमित किसान के विवरण अपलोड करने/प्राप्त करने सहित सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।
ii. बीमा कंपनियों द्वारा दावों की पारदर्शी गणना और निपटान के लिए दावा मॉड्यूल अर्थात् डिजीक्लेम को खरीफ 2022 सीज़न से विकसित किया गया है जिसमें सभी दावों पर राष्ट्रीय फसल

बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से काम किया जाता है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन सिस्टम (पीएफएमएस) का उपयोग करके किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है।

iii. वर्ष 2020 में शुरू एनसीआईपी के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा में पूरा हो गया है - 90% बीमित क्षेत्र अब भूमि रिकॉर्ड एकीकरण के माध्यम से राज्य ई-भूमि रिकॉर्ड द्वारा पुष्टि किया जा रहा है।

iv. स्कीम के कार्यान्वयन में बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही किसानों के दावों का समय पर निपटान बेहतर करने के लिए उठाए जा चुके हैं। वास्तविक फसल क्षति और नुकसान मूल्यांकन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित तकनीकों को हाल ही में वर्ष 2023-24 से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है:

- येश-टैक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली) रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान की ओर क्रमिक माइग्रेशन के लिए है ताकि उपज के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान का आकलन करने में मदद मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान के लिए 30% वेटेज अनिवार्य रूप से येश-टैक व्युत्पन्न उपज को सौंपा जाएगा।
- जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-स्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षा-गेज (एआरजी) के नेटवर्क के लिए विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय से अंतरसंचालनीयता और डेटा साझा करने के साथ एडब्ल्यूएस और एआरजी के राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए डेटा प्रदान करेगा बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम भविष्यवाणी और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए भी डेटा प्रदान करेगा।
- बीमित फसल के साथ बोई गई फसल के सत्यापन के लिए जियो-टैग की गई तस्वीरों के लिए क्रॉपिक (फसलों की वास्तविक समय की तस्वीरों और अवलोकनों का संग्रह) और उद्देश्यपूर्ण फसल क्षति आकलन और फसल उपज अनुमान के लिए सचित्र विश्लेषण का उपयोग।

स्कीम के बेहतर संचालन के लिए राज्यों को खरीफ 2023 से चल रहे निविदा चक्र के लिए विकल्प के रूप में तीन वैकल्पिक जोखिम प्रबंधन मॉडल भी दिए गए हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों यानी 2019-2020 से 2021-2022 (30.06.2023 तक) के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत भुगतान किए गए दावे का राज्य-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2019-2020	2020-2021	2021-2022
	भुगतान किया गया दावा	भुगतान किया गया दावा	भुगतान किया गया दावा
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	1253.33	शून्य	शून्य
असम	89.07	146.03	6.68
छत्तीसगढ़	1303.53	885.93	1429.74
गोवा	0.007	0.00	0.00
गुजरात	111.68	शून्य	शून्य
हरियाणा	937.86	1249.95	1681.37
हिमाचल प्रदेश	67.50	73.37	12.77
जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	55.87
कर्नाटक	1499.79	1024.11	1489.19
केरल	88.92	124.49	39.00
मध्य प्रदेश	6194.79	7780.53	2682.71
महाराष्ट्र	6758.34	1319.97	4373.99
मणिपुर	1.14	0.00	1.48
मेघालय	0.17843	0.07	0.00
ओडिशा	1157.95	571.78	1027.54
पुदुचेरी	7.13	13.39	0.00
राजस्थान	4993.05	4309.86	3410.62
सिक्किम	0.00	0.02	0.50
तमिलनाडु	1214.00	2634.67	766.42
तेलंगाना	506.10	शून्य	शून्य
त्रिपुरा	0.81	2.60	0.00
उत्तर प्रदेश	1084.56	499.42	955.53
उत्तराखंड	103.24	134.86	109.91

******